**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 273**

**उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025**

**पीएम दक्ष योजना**

**273. श्री हमदुल्ला सईद:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाशिए पर रहने वाले समूहों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि यह योजना लक्षित समूहों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री बी.एल. वर्मा)**

**(क) और (ख):** जी, हाँ। पीएम-दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे लाभवंचित समूहों अर्थात अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), विमुक्त जनजाति (डीएनटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों से संबंधित व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। पीएम-दक्ष योजना के तहत स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से जुड़े पाठ्यक्रम/नौकरी भूमिकाओं पर उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।

**(ग):** पीएम-दक्ष योजना के तहत, जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सीधे या उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से योजना की निगरानी का प्रावधान है। इसके अलावा, एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) है जिसे योजना के नियमित कामकाज की देखरेख करने, योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए किसी भी नीति या प्रचालानात्मक परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

*******